

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Appeal No. 122/1999

Khalil s/o Shri Mehmood Yusuf, Resident of Guru Nanak Colony,
Bundi (Raj.)

----Appellant

Versus

State of Rajasthan through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	None
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesht Agrawal, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

12/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1 बूंदी के सेशन प्रकरण संख्या 68/1990 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.1999 जिसके द्वारा उसे अपराध अन्तर्गत धारा 307, 324 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी/अभियुक्त खलील पुत्र मोहम्मद युसुफ के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने अपीलार्थी की मृत्यु होने सम्बन्धी रिपोर्ट पेश की। चूंकि अपीलार्थी/अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इस अपीलार्थी को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त अभियुक्त की मृत्यु होने के आधार पर यह अपील अबेट/निरस्त की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो तो वे भी उक्तानुसार निरस्त किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J